माननीय *एम.एम कुमार* और *टी पी एस मान, जे.जे.•* के समक्ष

कंवलजीत सिंह,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी.नं. 2007 का 14790

14 अगस्त, 2008

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 226- सब इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति के मामले पर विचार न करना - उच्च न्यायालय ने प्रतिनिधित्व तय करने का निर्देश दिया - पूर्वव्यापी पदोन्नति दी गई - पूर्व-दिनांकित पदोन्नति के लिए बकाया के भुगतान का दावा - इनकार - उसे चुनौती - 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का सिद्धांत -ऐसे मामले में लागू नहीं -याचिकाकर्ता की कोई गलती नहीं -पहले तीन साल से अधिक समय तक पदोन्नति से इनकार करना और फिर वेतन का बकाया देने से भी इनकार करना अन्यायपूर्ण -याचिका स्वीकार की गई -याचिकाकर्ता को वेतन के बकाया का हकदार माना गया।

माना गया कि ऐसे मामलों में जहां उत्तरदाताओं ने गलत तरीके से अपने कर्मचारी को उचित पदोन्नति से वंचित कर दिया है, तो अंततः उसे मौद्रिक लाभ सहित पूरा लाभ दिया जाना चाहिए और 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का सिद्धांत इस मुद्दे को नियंत्रित नहीं करेगा। उन सिद्धांतों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि याचिकाकर्ता

वरिष्ठ होने के कारण जुलाई, 2003 में अपने कनिष्ठों के साथ पदोन्नति पर विचार करने का हकदार था, लेकिन उत्तरदाता ऐसा करने में विफल रहे। उनके द्वारा अभ्यावेदन दाखिल करने और इस न्यायालय द्वारा निर्देश जारी करने पर, उनके मामले का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, उन्हें 30 जुलाई, 2003 से सब इंस्पेक्टर के रूप में पूर्वव्यापी पदोन्नति दी गई है। ऐसा कोई हस्तक्षेप करने वाला कारक नहीं है जो याचिकाकर्ता को ऐसा कारक प्रदान करने में कोई दोष लगाता है, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को वेतन का बकाया कम करने या देने से इनकार किया जा सकता है। पहले उसे तीन साल से अधिक समय तक पदोन्नति से वंचित करना और फिर उसके बकाया वेतन से भी इनकार करना अन्यायपूर्ण होगा। 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा। तदनुसार, 8 मार्च, 2007 का आदेश उस सीमा तक रद्द किया जा सकता है, जहां तक यह पूर्व-दिनांकित पदोन्नति के लिए वेतन के बकाया को अस्वीकार कर देता है।

(पैरा 5)

सी.एल. कत्याल, याचिकाकर्ताओं के वकील।

हरीश राठी, सीनियर उत्तरदाताओं के लिए डीएजी, हरियाणा।

एम.एम. कुमार, जे.

(1) याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों द्वारा पारित 30 जुलाई, 2003 से प्रभावी आदेश दिनांक, 8 मार्च, 2007 (पी-2) के तहत सूची 'ई' पर पदोन्नत किया गया है। तदनुसार, उन्हें उपरोक्त तिथि से कार्यवाहक उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाता है। याचिकाकर्ता ने उस आदेश को उस हद तक चुनौती दी है जिसमें पूर्व-दिनांकित पदोन्नति के लिए बकाया का भुगतान न करने का प्रावधान है, जो केवल 20 फरवरी, 2007 से प्रभावी है।

(2) रिट याचिका के निपटान के लिए आवश्यक मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को शुरू में हरियाणा पुलिस में प्रथम बटालियन एच.ए.पी. में सहायक उप-निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 12 जुलाई, 1999 को अंबाला में। जुलाई 2003 में, एचएपी के एएसआई, जो याचिकाकर्ता से कनिष्ठ थे, को 30 जुलाई, 2003 से सब इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया था। यह उल्लेख करना उचित होगा कि याचिकाकर्ता को अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया गया था अंबाला रेंज, जिला पंचकुला में लेकिन उन्हें 16 जुलाई, 2006 को वापस भेज दिया गया था। उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर शायद इस कारण से विचार नहीं किया गया था कि उन्हें अस्थायी रूप से अंबाला रेंज (पंचकूला) में स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक, एच.ए.पी. का प्रतिनिधित्व किया। मधुबन ने दावा किया कि वरिष्ठता के अनुसार वह सब इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति पाने का हकदार था क्योंकि उससे कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया था। उन्होंने सभी परिणामी लाभों का भी दावा किया था। जब याचिकाकर्ता के दावे पर विचार नहीं किया गया तो उसने सी.डब्ल्यू.पी. दायर की। 2007 की संख्या 1600। रिट याचिका का निपटारा 1 फरवरी, 2007 को प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के निर्देश के साथ कर दिया गया। 8 मार्च, 2007 को याचिकाकर्ता का दावा इस शर्त के साथ स्वीकार कर लिया गया कि वह 30 जुलाई, 2003 से उन मौद्रिक लाभों का हकदार नहीं होगा, जो उसे 20 फरवरी, 2007 से स्वीकार्य थे।

(3) जारी किए गए प्रस्ताव के नोटिस के जवाब में, उत्तरदाताओं ने 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत की वकालत करते हुए जवाब

दाखिल किया है। हालाँकि, यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता को 30 जुलाई, 2003 से पूर्व-दिनांकित पदोन्नति दी गई है। जाहिर है, उपरोक्त तारीख याचिकाकर्ता के कनिष्ठों की पदोन्नति की तारीख है।

(4) पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद हमारा मानना है कि यह रिट याचिका सफल होने योग्य है। याचिकाकर्ता को अवैध रूप से उस तारीख से पदोन्नति से वंचित कर दिया गया, जिस तारीख से उससे कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नति दी गई थी। रिट याचिका के पैरा 2 में याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि जब उसे एच.ए.आर. प्रथम बटालियन, अंबाला शहर से अंबाला रेंज में स्थानांतरित किया गया था, तो एच.ए.आर. के कैडर में वरिष्ठता में उससे कनिष्ठ एएसआई को उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया था और उसका मामला विचार नहीं किया गया. रिट याचिका के पैरा 2 में दिए गए कथनों को लिखित बयान के संबंधित पैरा में अस्वीकार नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में, यह स्वीकार की गई स्थिति है कि याचिकाकर्ता के सही दावे को तीन साल से अधिक की अवधि के लिए अस्वीकार कर दिया गया था। याचिकाकर्ता को उसकी पदोन्नति न होने के कारण कष्ट उठाना पड़ा और उसके पदोन्नति आदेश में उसे बकाया वेतन देने से इंकार करने के कारण भी उसे कष्ट सहना पड़ा। इस तरह से याचिकाकर्ता की पीड़ा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह ऐसा मामला नहीं है जहां वरिष्ठता के संबंध में विवाद था और हरियाणा राज्य बनाम ओपी गुप्ता के मामले में (1) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार वरिष्ठता के मुद्दे पर अनिश्चितता के कारण पदोन्नति नहीं दी जा सकती थी। हालाँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केरल राज्य बनाम ई.के. के मामले में भास्करन पिल्लई, (2) ने माना है कि 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत को सामान्य नियम नहीं माना जा सकता है

और कुछ स्थितियों में पूर्ण वेतन देना निष्क्रिय है, खासकर जब पदोन्नति गलत तरीके से अस्वीकार कर दी जाती है। पैरा 4 में, उनके आधिपत्य ने पलुरु रामकृष्णैया बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों का संदर्भ दिया है, (3); वीरेंद्र कुमार बनाम अविनाश चंद्र चड्ढा, (4); ए.के. सौमिनी बनाम स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, (5); भारत संघ बनाम तरसेम लाई, (6); भारत संघ बनाम के.वी. जानकीरमन, (7); ए.पी. राज्य बनाम के.वी.एल. नरसिम्हा राव, (8); वसंत राव रोमन बनाम भारत संघ (9); यूपी राज्य बनाम विनोद कुमार श्रीवास्तव (10); और ओ.पी. गुप्ता का मामला (सुप्रा) और निम्नानुसार आयोजित किया गया: -

> "..... जहां तक पूर्वव्यापी पदोन्नति के साथ मौद्रिक लाभ के संबंध में स्थिति का सवाल है, यह मामले दर मामले पर निर्भर करता है। ऐसे कई पहलू हैं जिन पर विचार करना होगा। कभी-कभी विभागीय जांच के मामले में या आपराधिक मामले में यह अधिकारियों पर निर्भर करता है कि वे मामले में शामिल अपराध की प्रकृति को देखते हुए पूर्ण बकाया वेतन या बकाया वेतन का 50 प्रतिशत दें या आपराधिक मामलों में जहां पदधारी को बरी कर दिया गया हो। संदेह का लाभ या पूर्ण दोषमुक्ति। कभी-कभी ऐसे मामले में जब व्यक्ति को हटा दिया जाता है और उसने अदालत या न्यायाधिकरण के समक्ष इसे चुनौती दी है और वह इसमें सफल हो जाता है और उसके मामले पर उस तारीख से पुनर्विचार करने के लिए निर्देश दिया जाता है जिस दिन उससे कनिष्ठ व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था, उस स्थिति में अदालत अनुमति दे सकती है कभी-कभी पूर्वव्यापी प्रभाव से पूर्ण लाभ मिलता है और कभी-कभी नहीं भी मिलता

है। विशेष रूप से जब प्रशासन ने गलत तरीके से उसका हक अस्वीकार कर दिया है तो उस स्थिति में उसे मौद्रिक लाभ सहित पूर्ण लाभ दिया जाना चाहिए, बशर्ते कि कानून में कोई बदलाव हो या कुछ अन्य पर्यवेक्षण कारक हों। हालाँकि, कोई भी सख्त नियम निर्धारित करना बहुत कठिन है। "काम नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धांत को सामान्य नियम के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे अपवाद भी हैं जहां अदालतों ने मौद्रिक लाभ भी दिए हैं।" (महत्व जोड़ें)

(5) इस प्रकार, उपरोक्त सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि ऐसे मामलों में जहां उत्तरदाताओं ने गलत तरीके से अपने कर्मचारी को उचित पदोन्नति से वंचित कर दिया है, उस स्थिति में उसे मौद्रिक लाभ और 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत सहित पूरा लाभ दिया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर शासन नहीं करेंगे. उन सिद्धांतों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि याचिकाकर्ता वरिष्ठ होने के कारण जुलाई 2003 में अपने कनिष्ठों के साथ पदोन्नति पर विचार करने का हकदार था, लेकिन उत्तरदाता ऐसा करने में विफल रहे। उनके द्वारा अभ्यावेदन दाखिल करने और इस न्यायालय द्वारा निर्देश जारी करने पर सी.डब्ल्यू.पी. क्रमांक 1600/2007, 1 फरवरी 2007 को निर्णय (पी-1), उनके मामले का निर्णय हो चुका है। तदनुसार, उन्हें 30 जुलाई, 2003 से सब इंस्पेक्टर के रूप में पूर्वव्यापी पदोन्नति दी गई है। ऐसा कोई हस्तक्षेप करने वाला कारक नहीं है जो याचिकाकर्ता को ऐसा कारक प्रदान करने में कोई दोष लगाता है, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को वेतन का बकाया कम करने या देने से इनकार किया जा सकता है। पहले उसे तीन साल से अधिक समय तक

पदोन्नति से वंचित करना और फिर उसके बकाया वेतन से भी इनकार करना अन्यायपूर्ण होगा। वर्तमान मामले के तथ्यों पर 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का सिद्धांत लागू नहीं होगा। तदनुसार, दिनांक 8 मार्च, 2007 का आदेश (पी-2) उस सीमा तक रद्द किया जा सकता है, जहां तक यह पूर्व-दिनांकित पदोन्नति के लिए वेतन के बकाया को अस्वीकार कर देता है।

(6) उपरोक्त कारणों से, यह याचिका सफल होती है। आदेश दिनांक 8 मार्च, 2007 (पी-2) इस हद तक रद्द किया जाता है कि यह याचिकाकर्ता को वेतन का बकाया देने से इनकार करता है। याचिकाकर्ता को 1 अगस्त, 2003 से 20 फरवरी, 2007 तक के बकाया वेतन का हकदार माना जाता है। याचिकाकर्ता को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर सभी बकाया का भुगतान किया जाएगा।

(7) रिट याचिका का निपटारा उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।

आर.एन.आर.

(1) (1996)7 एस.सी.सी. 533

(2) (2007)6 एस.सी.सी. 524

(3) (1989)2 एस.सी.सी. 541

(4) (1990)3 एस.सी.सी. 472

(5) (2003)7 एस.सी.सी. 238

(6) (2006) 10 एस.सी.सी. 145

(7) (1991)4 एस.सी.सी. 109

(8) (1999) 4 एस.सी.सी. 181

(9) 1993 सप्लिमेंट। (2) एस.सी.सी. 324

(10) (2006) 9 एस.सी.सी. 621

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:

Sakshi Gupta

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy